(59)

(57)

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/पीएसपी/ए/मूल मान्यता/19654/2018–19/मूज-4 दिनांकः–......16..../04.18

उप निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
समस्त..............................

विषयः–निजी विद्यालयों में पुस्तकें, यूनिफॉर्म, जूते, टाई आदि के लिए दिशा–निर्देश।
प्रसंगः–प.9(2)शिक्षा–5/पुस्तकें, युनिफॉर्म, जूते, टाई, आदि/2016 जयपुर दिनांक 17.04.2017 के क्रम में ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निजी विद्यालयों में पुस्तकें, यूनिफॉर्म, जूते, टाई, आदि के संबंध में शासन के प्रासंगिक पत्र के क्रम में दिनांक 03.10.2016 एवं 17.04.2017 को निर्देश जारी किये गये थे। यह ध्यान में आया है कि इन निर्देशों की सख्ती से पालना नहीं की जा रही है । इस संबंध में निजी शिक्षण संस्था द्वारा मनमानी नही हो, ऐसी व्यवस्था की जावें। प्रदेश में संचालित निजी विद्यालयों के संबंध में राज्य सरकार स्तर से जनहित में निम्नानुसार मार्गदर्शी सिद्वान्त प्रसारित किये गये हैः–

1. ये मार्गदर्शी सिद्वान्त शिक्षण सत्र 2016–17 से निरन्तर आगामी सत्रों के लिये प्रभावी है।
2. ये मार्गदर्शी सिद्वान्त प्रदेश में संचालित निजी विद्यालयों चाहे किसी शिक्षा बोर्ड/मण्डल से संबंद्ध हों पर प्रभावी होंगे ।
3. जिस बोर्ड/मण्डल से शिक्षण संस्था संचालन की मान्यता प्राप्त हुई है उस बोर्ड/मण्डल द्वारा निर्धारित मान्यता नियमों/निर्देशों/मापदण्डों/अधिनियम का पालना करना निजी विद्यालयों के लिए अनिवार्य होगा।
4. प्रत्येक निजी विद्यालय द्वारा स्वयं की वेबसाइट संचालित की जाएगी तथा वेबसाइट न होने पर समस्त जानकारी नोटिस बोर्ड पर आवश्यक रूप से देनी होगी, इसके साथ हीः–
    - .निजी विद्यालय अपने विवेकानुसार एनसीईआरटी/राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल/प्रारम्भिक शिक्षा बोर्ड/निजी प्रकाशकों द्वारा पाठ्यक्रम के अनुसार प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों में से विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए पुस्तकों का चयन कर सकेंगें। निजी विद्यालय के लिए अनिवार्य होगा कि वे शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने के क्रम में कम से कम एक माह पूर्व पुस्तकों की सूची, लेखक एवं प्रकाशक का नाम तथा मूल्य के साथ अपने विद्यालय के सूचना पटल एवं अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करें और शाला के विद्यार्थियों/अभिभावकों द्वारा मांगने पर उन्हें उपलब्ध करावें ताकि विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकगण इन पुस्तकों को उनकी सुविधा से खुले बाजार से क्रय कर सकें।

- पुस्तकों के अलावा निजी विद्यालयों द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म, टाई, जूते, कॉपियां आदि भी विद्यार्थी/अभिभावकगण खुले बाजार से क्रय करने को स्वतन्त्र होंगे।
- किसी भी शिक्षण सामग्री पर विद्यालय का नाम अंकित नहीं होगा। किसी भी दुकान विशेष से पुस्तकें एवं अन्य सामग्री के क्रय का दबाव नहीं बनाया जायेगा। शाला परिसर में पुस्तकों एवं अन्य सामग्री का विक्रय नहीं किया जायेगा।
- निजी विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के लिए निर्धारित की जाने वाली यूनिफॉर्म न्यूनतम 05 वर्षो तक बदली नहीं जावेगी।
- निजी विद्यालय यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थियों के लिए अनुशंषित की जाने वाली पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म एवं अन्य सामग्री न्यूनतम 03 स्थानीय विक्रेताओं के पास उपलब्ध होनी चाहिए।

5.इन मार्गदर्शी सिद्वान्तों को लागू करने के बाद आने वाली कठिनाइयों एवं प्राप्त अनुभव के आधार पर इनमें आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाएगा।

6.इन मार्गदर्शी सिद्वान्तों की पालना न करने पर मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जावें।

उक्त मार्गदर्शी सिद्वान्तों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावें एवं पालना नहीं करने वाले विद्यालयों की (चाहे वे किसी भी बोर्ड से संबद्धता रखते हों) मान्यता समाप्ति हेतु नियमानुसार प्रस्ताव तत्काल प्रेषित करावें ।

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01.विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, जयपुर।
02.निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
03.राज्य समन्वयक, प्राईवेट स्कूल पोर्टल सेन्ट्रल सेल, शिक्षा संकुल, जयपुर।
04.प्रभारी, शाला दर्शन पोर्टल, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
05.प्रभारी शाला दर्पण पोर्टल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
06प्रभारी विभागीय वेबसाईट माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।

उपनिदेशक(आरटीई)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर